अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत काजरी, प्रादेशिक अनुसंधान स्त्रात, बीकानेर में किसानों को खरीफ में बीज, खाद एवम् कृषि यंत्र का वितरण किया गया।

भा.कृ. अनु. प.– केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, प्रादेशिक अनुसंधान स्थात्र, बीकानेर में अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत दिनांक 10.07.2023 से 13.7.2023 के दौरान खरीफ ऋतु में अनुसूचित जाति के किसानों को निःशुल्क बीज, खाद एवम् मेन्यूल हेण्ड वीडर (कृषी यंत्र) का वितरण किया गया। किसानों को उच्च किस्मों के ग्वार, मोंठ, एवं बाजरे के बीज एवम् मेन्यूल हेण्ड वीडर (कृषी यंत्र) का वितरण किया गया और साथ ही सभी किसानों को एक बैग युरिया एवं एक बैग डी.ऐ.पी. का वितरण किया। यह वितरण किसानों के खेत में दो बीघा जमीन में प्रदर्शन करने के लिए निःशुल्क वितरण किया गया। इस योजना के अन्तर्गत एक नया गांव भी जोड़ा गया तथा कुल 8 गांवों में से 300 किसानों को इस योजना द्वारा लाभावन्तित किया गया। इस योजना में 8 गावों में 300 किसानों को 43 क्विंटल ग्वार, मोठ एवं बाजरें का बीज तथा 300 बैग यूरिया, 300 बैंग डी.ऐ.पी. तथा 49 मेन्यूल हेण्ड वीडर (कृषी यंत्र) का वितरण दिनांक 10–13 जुलाई 2023 के मध्य किया गया। बीज एवं खाद वितरण के इस कार्यक्रम में प्रादेशिक अनुसंधान स्थात्र, बीकानेर के अध्यक्ष डॉ. एन. आर. पंवार ने बारानी एवं सिंचित खेती की उन्नत तकनीकी खेती करने के बारे में किसानों को अवगत कराया गया। अनुसूचित जाति उप योजना के समन्वयक डॉ. जी. एल. बागड़ी, प्रधान वैज्ञानिक ने अनुसूचित जाति उप योजना के बारे में किसानों को अवगत कराया कि यह योजना अनुसूचित जाति के किसानों के हित के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है जो अनुसूचित जाति के किसानों के लिए फसल उत्पादन बढ़ाने में वरदान साबित होगी और इस योजना में किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश की जायेगी।